संख्या-29/2023/489315/60-1099/117/2023

प्रेषक,

अनामिका सिंह,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक:: 26 जून, 2023**

विषय:- राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30.06.2023 को प्रस्तावित ऑनलाइन बैठक के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध0 शासकीय पत्र संख्या-NIPCCD-19012/31/2022-O/o.JD(CS), दिनांक 16.06.2023 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- अवगत कराया गया है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के नियंत्रणाधीन स्वायत्त संगठन राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) द्वारा कठिन परिस्थितियों में बच्चों की देख-भाल, सुरक्षा एवं पुनर्वास हेतु किशोर न्याय प्रणाली की भूमिका विषय पर दिनांक 30.06.2023 को पूर्वाह्न 11:30 बजे से ऑनलाइन बैठक आहूत की गयी है। उक्त बैठक में जिलाधिकारियों/अपर जिलाधिकारियों से प्रतिभाग किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 16.06.2023 में की गयी अपेक्षानुसार राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30.06.2023 को आहूत ऑनलाइन बैठक में निर्धारित तिथि/समय पर प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
सचिव

संख्या-29/2023/489315/60-1099/117/2023, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उनके अर्द्ध0 शासकीय पत्र संख्या-NIPCCD-19012/31/2022-O/o.JD(CS), दिनांक 16.06.2023 के क्रम में।
2- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार यादव)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।